विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-03/15</u>

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बड़वाह जिला खरगौन — आवेदक
द्वारा– कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग नं. 32
बड़वाह

विरूद्ध

(1) मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपरेखा) — अनावेदकगण

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लि., जबलपुर।

(2) मुख्य अभियंता (इ.क्षे.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर

(3) मुख्य अभियंता (वाणिज्य)
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर

आदेश
(दिनांक 11.06.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के शिकायत क्रमांक W0279914 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विरूद्ध मुख्य अभियंता तथा अन्य 2 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 आवेदक उपभोक्ता नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने फोरम के समक्ष अनावेदक वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो कि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी है के विरूद्ध इस आशय की शिकायत की थी कि विकास प्राधिकरण द्वारा बड़वाह में स्थापित अपने परिसर में विद्युत प्रदाय किये जाने का आवेदन पेश किया था। विद्युत वितरण कंपनी ने उसे ऐसी आपूर्ति हेतु विस्तार कार्य की लागत, सुरक्षा निधि की मांग सहित अनुबंध का प्रारूप पेश किया था। उसने अनुबंध में वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हुए विद्युत वितरण कंपनी से विद्युत आपूर्ति हेतु अनुबंध किया था। जिसके अनुसरण में उसे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। विद्युत की आपूर्ति होने के बाद अनुबंध

का अवलोकन करने पर उसने यह पाया है कि उसको विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिए 40 एमवीए, 132/33 केवी पॉवर ट्रांसफार्मर तथा 2 नग 33 केवी बे के कार्य हेतु म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी को देने नाम पर जो राशि रूपये 552.86 लाख ली गई वह उचित नहीं है।

03 उपभोक्ता की इस शिकायत का जबाव अनावेदक कंपनी की ओर यह कहकर दिया गया कि उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति हेतु जो व्यय/खर्च हुआ है उसे अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी है तथा उपभोक्ता द्वारा ऐसे खर्च को अदा करने के बाद ही उसे विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव था, अतः जो व्यय लिया गया है वह विधि संगत है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्राक्कलन तैयार किया किया था, प्राक्कलन में उक्त व्यय को दर्शाया गया था। उपभोक्ता ने प्राक्कलन में वर्णित व्यय को स्वीकार करने के बाद ही अनुबंध किया था। अतः ऐसे अनुबंध से वह वाध्य है।

04 उभय पक्ष को सुने जाने के बाद फोरम ने यह निर्देश दिये हैं कि उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हेतु जो अधोसंरचना बनायी गई थी वह तकनीकि रूप से आवश्यक थी। ऐसी अधोसंरचना में आने वाले व्यय को वहन करने की सहमति उपभोक्ता ने दी थी और इसके बाद उभय पक्ष के माध्यम से पारस्परिक सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित किया गया था। अतः उपभोक्ता से जो राशि ली गई वह विधि संगत है।

05 फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने अपने अभ्यावेदन में तथ्यों का विस्तार से वर्णन करते हुए मुख्य आपत्ति यह की है कि उससे प्रश्नगत मद में जो राशि ली गई उसे लेने के लिए अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी को प्राधिकृत नहीं किया गया है, अतः राशि उपभोक्ता को वापस दी जाए।

06 विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अनावेदक की ओर से प्रस्तावित प्राक्कलन को स्वीकार करने के बाद तथा अनुबंध निष्पादित करने के बाद उपभोक्ता अनावेदक को अदा की गई राशि को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

07 आवेदक उपभोक्ता की ओर से तर्क के दौरान विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 2(1)(क्यू), धारा 2 (1)(जेजे) तथा विद्युत अधिनियम की धारा 144 की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया

जाकर इस आशय का तर्क किया गया है कि अनावेदक ने ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए उससे जो व्यय वसूल किया है उसे वसूल करने के लिए अनावेदक प्राधिकृत नहीं है। जबकि अनावेदक की ओर से विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 4.3 तथा 4.8 के आधार पर यह तर्क किया गया है कि ऐसी राशि अनावेदक उपभोक्ता से वसूल कर सकता है।

08 विद्युत प्रदाय संहिता के अध्याय–4 में नवीन विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 'विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु विनियम, 2006' जिसे 2009 में पुनरीक्षित किया गया है, बनाये गये हैं। उक्त विनियम की कंडिका 4.3.8 अति उच्चदाब उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किये जाने से संबंधित है। उक्त कंडिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय का कार्य करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। कंडिका 4.3.3 के प्रावधानों के अनुसार प्राक्कलित राशि जमा करने के बाद तथा अनुबंध के निष्पादन के पश्चात ही कार्य को संपादित किया जाएगा।

09 विधि के उक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत की मांग किये जाने पर उसकी मांग की आपूर्ति हेतु अधोसंरचना का कार्य तथा विस्तार की लागत का विवरण देने के उद्देश्य से एक प्राक्कलन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है। उक्त प्राक्कलन में वर्णित राशि को स्वीकार करने के बाद तथा अनुबंध निष्पादित करने के बाद ही अनावेदक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय करने हेतु अधोसंरचना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किये जाने और ऐसी अधोसंरचना के निर्माण के बाद अन्य आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करने के बाद उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किया जाएगा।

10 इस मामले में उपभोक्ता की मांग पर अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय का प्राक्कलन तैयार किया गया था जिसे उपभोक्ता ने स्वीकार किया था।

11 दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध निष्पादित किया गया था इसके बाद ही विद्युत वितरण कंपनी ने विद्युत प्रदाय हेतु अधोसंरचना का कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण करने के पश्चात उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया था। यहॉ उपभोक्ता की आपत्ति मुख्य रूप से यह है कि एक व्यय विशेष की वसूली करने का अधिकार विद्युत वितरण कंपनी को नहीं था, जबकि उस व्यय को वहन करना उपभोक्ता ने स्वीकार किया था। उभय पक्ष की सहमति से अनुबंध पत्र

को निष्पादित किया गया था। ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता को अनुबंध में वर्णित शर्तों की वैधता के संबंध में आपत्ति थी तो ऐसे अनुबंध की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार, उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने के लिए गठित फोरम अथवा विद्युत लोकपाल को प्राप्त नहीं होता है। अनुबंध की वैधता का परीक्षण सक्षम न्यायालय द्वारा गुण दोषों के आधार पर ही किया जा सकता है। फोरम अथवा विद्युत लोकपाल द्वारा उपभोक्ता की उन्हीं शिकायतों पर विचार किया जा सकता है जिन शिकायतों का संबंध उभय पक्षों के माध्यम से अनुबंधित संविदा में वर्णित शर्तों के विपरीत कार्य किये जाने से हो। यदि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनुबंध में वर्णित शर्तों के अनुसार कार्य किया जा रहा है तो उस स्थिति में फोरम तथा विद्युत लोकपाल के द्वारा उपभोक्ता को कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है।

12 इस मामले में उभय पक्ष की ओर से वर्णित तथ्यों से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने विद्युत वितरण के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय करने की मांग की थी। उसकी मांग पर विचार करते हुए विद्युत वितरण कंपनी ने विद्युत आपूर्ति हेतु अधोसंरचना स्थापित करने में आने वाले व्यय की जानकारी उपभोक्ता को दी थी। ऐसे व्यय को अदा करना उपभोक्ता ने स्वीकार किया था। इसके पश्चात उभय पक्ष के मध्य संविदा निष्पादित की गई। ऐसी संविदा के निष्पादन के पश्चात विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की गई थी। अतः उक्त परिस्थिति में आवेदक उपभोक्ता को इस आशय की शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे प्राक्कलन में बताई गई राशि वसूल करने का अधिकार अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कंपनी को नहीं था। उपभोक्ता यदि संविदा की वैधता को चुनौती देना चाहता है तो उसका उपचार उसे सक्षम न्यायालय से ही प्राप्त हो सकता है। उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने के लिए शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल को उपभोक्ता की उन्हीं शिकायतों का निराकरण करने का अधिकार है जो विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संविदा की शर्तों के विपरीत हों अथवा विद्युत प्रदाय संहिता अथवा उक्त संहिता के अधीन बनाये गये विनियमों के विपरीत हों।

13 उपभोक्ता ने विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण कंपनी की ओर से प्रस्तुत प्राक्कलन को स्वीकार करते हुए अनुबंध निस्पादित किया था। उपभोक्ता से प्रश्नगत व्यय की वसूली उसकी सहमति से की गई थी। अतः विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता द्वारा की गई ऐसी शिकायत का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा उपभोक्ता अदा की गई राशि को

वापस प्राप्त करने का अधिकारी साबित नहीं होता है। उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किये जाने का जो आदेश फोरम द्वारा दिया गया है उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है।

: निष्कर्ष :

14 उभय पक्ष के मध्य निष्पादित संविदा की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता से विद्युत आपूर्ति हेतु प्रश्नगत ब्ययों की वसूली की गई थी। विद्युत की आपूर्ति प्रारंभ होने के पश्चात उपभोक्ता द्वारा व्ययों की वापसी हेतु जो शिकायत की गई है, उसका न्याय संगत आधार नहीं पाया जाता है। अतः उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किये जाने का जो आदेश फोरम ने दिया है उसके विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है। फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल